[2020] 9 एस. सी. आर 330

गुजरात राज्य

वी.

मानसुखभाई कांजीभाई शाह

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 989)

27 अप्रैल, 2020

[एन. वी. रमना, मोहन एम. शांतनागौदर और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारा 2 (ग) (xi)-मानित विश्वविद्यालय-क्या मानित विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत नहीं आता है

पी. सी. अधिनियम के प्रावधानः पी. सी. अधिनियम का उद्देश्य न केवल रिश्वत और भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई को रोकना है, बल्कि इसे उन व्यक्तियों पर भी लागू करना है जिन्हें पारंपरिक रूप से लोक सेवक नहीं माना जा सकता है-पी. सी. अधिनियम के तहत उद्देश्य उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें पारंपरिक रूप से लोक अधिकारी कहा जाता है, उन व्यक्तियों पर जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं-समान रखना।

यह ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक "मानद विश्वविद्यालय" और उसके अधिकारी, किसी भी कम या किसी भी अलग सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करते हैं,

एक विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रदर्शनों की तुलना में-इसलिए, एक "मानद विश्वविद्यालय" को "विश्वविद्यालय" शब्द के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi)।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारा 2 (ग)-लोक सेवक, की परिभाषा-आयोजितः एस की भाषा। 2 (ख) पी. सी. अधिनियम इंगित करता है

कि ऐसा कोई भी कर्तव्य जिसका निर्वहन बड़े पैमाने पर राज्य, जनता या समुदाय का कोई हित हो, उसे सार्वजनिक कर्तव्य कहा जाता है-एस के लिए पहला स्पष्टीकरण। 2 यह आगे स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो एस के तहत बताई गई किसी भी श्रेणी में आता है। 2 एक लोक सेवक है चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं दूसरी व्याख्या आगे

प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार करता है जो वास्तव में एक लोक सेवक के कार्यों का निर्वहन करता है, और यह कि उसे किसी भी कारण से लोक सेवक के दायरे में लाने से रोका नहीं जाना चाहिए।

कानूनी कमजोरियाँ या तकनीकीताएँ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: एसएस। 7 , 8 , 10 , 13 (1) (ख) और 13 (2)-प्रत्यर्थी, न्यासी के खिलाफ आरोप पत्र विश्वविद्यालय विशेष रूप से खुलासा करता है कि वह कथित रूप से संग्रह कर रहा था

के बहाने निर्धारित शुल्क पर कुछ अतिरिक्त राशि

छात्रों को अपने परीक्षा प्रपत्र भरने की अनुमति देना -

330 गुजरात राज्य बनाम। मानसुखभाई कांजीभाई शाह

शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने सह-अभियुक्त को Rs.20 लाख का भुगतान करने की मांग की थी, जिसमें विफल रहने पर शिकायतकर्ता की बेटी को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी-आयोजितः प्रत्यर्थी द्वारा ली गई याचिका यह थी कि वह "सुमनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट" के ट्रस्टी थे और उनका नीचे दिए गए "सुमनदीप विश्वविद्यालय" न्यायालयों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वे इसका विश्लेषण करने में विफल रहे।

न्यास और विश्वविद्यालय के बीच संबंध के साथ-साथ विश्वविद्यालय के साथ प्रत्यर्थी का संबंध-प्रथम दृष्टया, एक गंभीर संदेह पैदा होता है कि प्रत्यर्थी छात्रों और विश्वविद्यालय के परीक्षा पहलू के साथ व्यवहार करके अपनी सेवा प्रदान कर रहा था-लेकिन एस के संबंध में प्रत्यर्थी की सटीक स्थिति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य की विस्तृत सराहना की जाती है। 227 सीमित है और इसका उपयोग तथ्यात्मक निष्कर्षों के पहलू पर घूमती हुई पूछताछ करके नहीं किया जाना चाहिए।

मामले को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 227 .

क़ानूनों की व्याख्याः एक क़ानून के तहत उपयोग की जाने वाली तकनीकी परिभाषाओं का दूसरे क़ानून में विस्तारः तकनीकी एक कानून के तहत परिभाषाओं को दूसरे में आयात नहीं किया जाना चाहिए

यू. जी. सी. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यू. जी. सी. अधिनियम और पी. सी. अधिनियम ऐसे अधिनियम हैं जो अपने उद्देश्य, संचालन और उद्देश्य में पूरी तरह से अलग हैं।

कि यह विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है, और उस उद्देश्य के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना '-दूसरी ओर, पी. सी. अधिनियम देश में भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए एक अधिनियम है-इस प्रकार, एक अधिनियम के तहत उपयोग की जाने वाली तकनीकी परिभाषाओं का दूसरे में विस्तार उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अधिनियम एक दूसरे के साथ समान रूप से नहीं हैं-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956-अजय रस्तोगी, जे. (पूरक)-मानद विश्वविद्यालय-एस के तहत "विश्वविद्यालय"। 2 (च) यू. जी. सी. अधिनियम की स्थापना या तो केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में की जाती है-साथ ही, विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए संस्थानों में से

केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किए जाने के बाद वैधानिक अधिनियम को [2020] 9 एस. सी. आर. माना जाएगा।

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय और यू. जी. सी. अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे संस्थानों पर लागू होंगे जैसे कि वे खंड (च) के अर्थ के भीतर एक विश्वविद्यालय थे। 2 अधिनियम का-एस की शुरूआत द्वारा। 2 (ग) (xi) अधिनियम, 1988 के अनुसार, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पदनाम के साथ किसी भी शासी निकाय के किसी भी व्यक्ति या सदस्य को "लोक सेवक" की परिभाषा में शामिल किया गया है और किसी भी विश्वविद्यालय में सभी विश्वविद्यालय शामिल हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि यह क़ानून के तहत स्थापित किया गया है या धारा 1988 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। 3 यू. जी. सी. अधिनियम-विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, जहां तक यह 'लोक सेवक' शब्द से संबंधित है, जैसा कि एस के तहत परिभाषित किया गया है। 2 (ग) 1988 के अधिनियम की (xi)-लोक सेवक की परिभाषा का अर्थ '

एस का खंड (सी)। 2 अधिनियम 1988 के अनुसार, न्यायालय को एक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जो विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाएगा।

विधायिका ने जानबूझकर धाराओं के खंड (सी) में 'लोक सेवक' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया है। 2 विशेष रूप से अधिनियम और खंड (xi) का उद्देश्य 'कोई भी' शब्द का अन्वेषण करना है जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हैं।

किसी भी तरह या रूप में किसी भी विश्वविद्यालय के मामलों के प्रबंधन में भाग लेना-इस संदर्भ में, विधायिका ने अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों के लिए "किसी भी" विश्वविद्यालय के किसी भी पदनाम द्वारा "किसी भी" व्यक्ति या "किसी भी" शासी निकाय के सदस्य को लोक सेवक के रूप में संदर्भित किया है-विचार के लिए प्रश्न शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम में "कोई भी" विश्वविद्यालय शब्द है जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है।

एस. 2 (ग) अधिनियम 1988 का (xi) और विधायिका ने अपने विवेक में "कोई भी विश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख किया है जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट विश्वविद्यालय को उसके वैधानिक तंत्र द्वारा संदर्भित और नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य करता है।

एस के तहत। 2 (च) और एस के तहत विश्वविद्यालय माना जाता है। 3 यूजीसी अधिनियम

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - एस. 2 (सी) (xi)।

-

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः एन .

वी. रमन्ना, जे. जे. के अनुसार (अपने लिए और अपने लिए)

मोहन एम. शांतागौदर, जे.)

1. प्रत्यर्थी का तर्क है कि "विश्वविद्यालय" शब्द को यू. जी. सी. अधिनियम के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें केवल वे विश्वविद्यालय धारा 2 (एफ) के तहत आते हैं।

गुजरात राज्य बनाम। मानसुखभाई कांजीभाई शाह

अलग अधिनियम यहाँ संभव नहीं हो सकता है। यह एक स्थापित कानून है कि एक क़ानून के तहत तकनीकी परिभाषाओं को दूसरे क़ानून में आयात नहीं किया जाना चाहिए जो पहले के साथ समान सामग्री में नहीं है। यू. जी. सी. अधिनियम और पी. सी. अधिनियम ऐसे अधिनियम हैं जो अपने उद्देश्य, संचालन और उद्देश्य में पूरी तरह से अलग हैं। यू. जी. सी. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने के लिए एक अधिनियम है। जिस पर दूसरी ओर, पी. सी. अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य देश में भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाना है। इस प्रकार, एक अधिनियम के तहत उपयोग की जाने वाली तकनीकी परिभाषाओं का दूसरे में विस्तार उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अधिनियम एक दूसरे के समान नहीं हैं। यू. जी. सी. अधिनियम के उद्देश्य को पी. सी. अधिनियम के तहत उधार नहीं लिया जा सकता है, और पी. सी. अधिनियम के तहत आने वाले "विश्वविद्यालय" शब्द के लिए एक स्वतंत्र अर्थ प्रदान करने की आवश्यकता है। [पैरा 31,33] [346-ए-सी; 347-जी]

पात्रो (2018) 1 एससीसी 468: [2017] 13 एससीआर 921 संदर्भित किया गया।

2.1 पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) में किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए पद पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि यह सार्वजनिक कर्तव्य पर है।

उसके द्वारा किया गया। इस संबंध में, विधायी इरादा अधिकारियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करना नहीं था, बल्कि इसके तहत 'लोक सेवक' की एक सामान्य परिभाषा प्रदान की गई है। पी. सी. अधिनियम का उद्देश्य केवल रोकने के लिए नहीं है

रिश्वत और भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई, लेकिन उन व्यक्तियों पर भी लागू करने के लिए जो पारंपरिक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं

लोक सेवक माने जाते हैं। पी. सी. अधिनियम के तहत उद्देश्य उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें पारंपरिक रूप से सार्वजनिक अधिकारी कहा जाता है, उन व्यक्तियों पर जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक "मानित विश्वविद्यालय" और उसके अधिकारी, एक विश्वविद्यालय सरलीकरणकर्ता और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए सार्वजनिक कर्तव्यों से कम या कोई अलग सार्वजनिक कर्तव्य करते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना गलत था कि [2020] 9 एस. सी. आर.

"मानद विश्वविद्यालय" को इस पद के दायरे से बाहर रखा गया है।

" विश्वविद्यालय "पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi) के तहत। [पारस 34,44,45] [348-बी; 351-बी-डी]

हीरा देवी बनाम। जिला बोर्ड, शाहजहांपुर [1952] एस. सी. आर. 1122; सी. बी. आई. बनाम रमेश गेली (2016) 3 एस. सी. सी. 788: [2016] 1 एससीआर 762; पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सी. बी. आई/एस. पी. ई.) (1998) 4 एस. सी. सी. 626: [1998] 2 एससीआर 870; मनीष त्रिवेदी बनाम। राजस्थान राज्य (2014) 14 एस. सी. सी. 420: [2013] 12

एस. सी. आर. 205 संदर्भित है। ब्लैक का कानून शब्दकोश "विश्वविद्यालय" को परिभाषित करता है; कानून

लेक्सिकन; हैल्सबरी का तीसरा संस्करण, खंड 13, पृष्ठ

707 ; शब्द और वाक्यांश, स्थायी संस्करण। (पश्चिम

प्रकाशन कंपनी)-संदर्भित।

2.2 स्पष्ट रूप से, पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (बी) की भाषा इंगित करती है कि कोई भी कर्तव्य निर्वहन जिसमें राज्य, जनता या

किसी भी कानूनी दुर्बलता या तकनीकीता के कारण लोक सेवक का अधिकार क्षेत्र। वर्तमान मामले में, बयानों के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर कुलपति), सुमनदीप विद्यापीठ विश्वविद्यालय के लेखा अधिकारी और अन्य गवाहों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवेश अनुदान, शुल्क संग्रह और दान राशि के संबंध में प्रतिवादी अंतिम प्राधिकारी था। [पारस 50,51] [354-ए-सी]

2.3 आरोप पत्र विशेष रूप से खुलासा करता है कि

प्रतिवादी कथित तौर पर कुछ अतिरिक्त राशि एकत्र कर रहा था छात्रों को अपने परीक्षा प्रपत्र भरने की अनुमति देने के बहाने निर्धारित शुल्क। इसलिए, प्रत्यर्थी को भुगतान करना

कथित राशि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रपत्र भरने से पहले एक पूर्व शर्त थी। विशेष रूप से, शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने Rs.20 की मांग की थी

सह-अभियुक्त को लाखों का भुगतान किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर शिकायतकर्ता की बेटी को गुजरात राज्य v में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मानसुखभाई कांजीभाई शाह

जाँच। यह तथ्य कि छापे के दौरान बड़ी संख्या में चेक पाए गए थे, पर्याप्त से अधिक है

कथित अपराध के होने के बारे में गंभीर संदेह स्थापित करें। प्रत्यर्थी ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि वह स्वीकार्य रूप से "सुमनदीप चैरिटेबल" का ट्रस्टी है। ट्रस्ट "और इसका" सुमनदीप विश्वविद्यालय "से कोई संबंध नहीं है।

विश्वविद्यालय का परीक्षा पहलू। लेकिन विश्वविद्यालय के संबंध में प्रत्यर्थी की सटीक स्थिति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य की विस्तृत सराहना की आवश्यकता होती है। [पारस 52,53] [354-डी-एच] 3. इस स्तर पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के संबंध में इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है और इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

तथ्यात्मक निष्कर्षों के पहलू पर बारी-बारी से पूछताछ करके।

यह मामला अभियुक्त-प्रतिवादी को आरोपमुक्त करने के लिए धारा 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित नहीं है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में। निचली अदालत को मामले में तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। [पैरा 54,

56] [355 - ए; 356-बी]

भारत संघ बनाम। प्रफुल्ल कुमार सामल (1979) 3 एस. सी. सी. 4: [1979] 2 एससीआर 229; सज्जन कुमार बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो (2010) 9 एससीसी 368 [2010] 11 एससीआर

669 ; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य। (2016) 7 एससीसी 353: [2016] 3 एस. सी. आर. 579; जेनेट जयपॉल बनाम। एस. आर. एम. विश्वविद्यालय (2015) 16 एस. सी. सी. 530; के. वीरास्वामी बनाम। भारत संघ, (1991) 3 एस. सी. सी. 655: [1991] 3 एस. सी. आर. 189 (12); मध्य प्रदेश राज्य बनाम एम. वी. नरसिम्हन (1975) 2 एस. सी. सी. 377: [1976] 1 एस. सी. आर. 6 (23); एम. नारायणन नांबियार बनाम। केरल राज्य [1963] 2 पूरक। एससीआर 724; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी (2018) 9 एस. सी. सी. 1: [2018] 7 एस. सी. आर. 1191; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। मनमोहन सिंह (2012) 3 एससीसी 64: [2012] 3 एससीआर 52-संदर्भित को।

20] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अजय रस्तोगी के अनुसार, जे। (पूरक)

1. संथानम की सिफारिशों के आधार पर 1964 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया था।

उन लोगों के लिए जो सार्वजनिक पद धारण करते हैं। [पैरा 4,5] [356-जी-एच; 357-ए बी] 2. यू. जी. सी. अधिनियम की स्थापना 1956 के एक अधिनियम द्वारा मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने के लिए की गई थी।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा। " विश्वविद्यालय 'को यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है और जिन्हें' डीम्ड विश्वविद्यालय 'घोषित किया गया है, उन्हें धारा 3 के तहत प्रतिबंधों के साथ एक घोषणा को अधिसूचित किया जाना है।

यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्दिष्ट विश्वविद्यालय माना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना या तो केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में की जाती है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किए जाने के बाद, सांविधिक अधिनियम के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा के लिए ऐसे संस्थानों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय माना जाएगा और यू. जी. सी. अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे संस्थानों पर लागू होंगे जैसे कि वे अर्थ के भीतर एक विश्वविद्यालय हों।

अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) का। [पारस 8,9] [357-एच; 358-ए-बी, जी]

3. यह ध्यान नहीं दिया जा सकता है कि अधिनियम, 1988, इसके रूप में

पूर्ववर्ती जो उसी विषय पर 1947 का निरस्त अधिनियम है, प्रभावी होने के स्वीकृत उद्देश्य के साथ लागू किया गया था रिश्वत और भ्रष्टाचार की रोकथाम। 1988 का अधिनियम जो

1947 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है जिसमें अधिनियम की धारा 2 के खंड (सी), गुजरात राज्य v में व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ 'लोक सेवक' की परिभाषा शामिल है।

मानसुखभाई कांजीभाई शाह

"लोक सेवक" की व्यापक परिभाषा सार्वजनिक कर्तव्य प्रदान करने वाले समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को दंडित करने और रोकने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, परिभाषा खंड की सामग्री को निर्माण द्वारा सीमित नहीं करना उचित होगा जो कानून की भावना के खिलाफ होगा। [पैरा 10] [358-एच; 359-ए-सी] 4. अधिनियम, 1988 की धारा 2 (सी) (xi) को लागू करके, कोई भी व्यक्ति या किसी भी शासी निकाय का सदस्य

किसी भी विश्वविद्यालय का पदनाम इसमें शामिल किया गया है "लोक सेवक" की परिभाषा और किसी भी विश्वविद्यालय में सभी शामिल हैं

विश्वविद्यालय इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या इसे क़ानून के तहत स्थापित किया गया है या यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। यह सच है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानकों पर विचार करने और उनके निर्धारण के लिए यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा यह अंतर इंगित किया गया है, विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, जहां तक यह अधिनियम 1988 की धारा 2 (सी) (xi) के तहत परिभाषित 'लोक सेवक' शब्द से संबंधित है। [पैरा 11] [359-सी-ई] 5. अधिनियम 1988 की धारा 2 के खंड (सी) में 'लोक सेवक' की परिभाषा का अर्थ निकालने के लिए, न्यायालय को एक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाएगा। विधायिका ने जानबूझकर, अधिनियम की धारा 2 के खंड (सी) और विशेष रूप से खंड (xi) में 'लोक सेवक' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए विशेष रूप से 'कोई भी' शब्द का पता लगाने का इरादा किया है, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह या रूप में किसी भी विश्वविद्यालय के मामलों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस संदर्भ में, विधायिका ने अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों के लिए 'किसी भी' व्यक्ति या 'किसी भी' शासी निकाय के सदस्य को 'किसी भी' विश्वविद्यालय के किसी भी पदनाम से 'लोक सेवक' के रूप में संदर्भित किया है। विचार के लिए प्रश्न [2020] 9 एस. सी. की धारा 2 (सी) (xi) के तहत संदर्भित शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक स्पेक्ट्रम में 'कोई भी' विश्वविद्यालय शब्द है।

अधिनियम 1988 और विधायिका ने अपने विवेक में "किसी भी विश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख किया है जो स्पष्ट रूप से यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत संदर्भित और अपने वैधानिक तंत्र द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय माना जाता है। [पारस 12,14] [359-ई-जी; 360-बी-सी]

उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम बनाम। रबी शंकर (2018)

1 एससीसी 468 [2017] 13 एससीआर 921-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

एन. वी. रमन्ना, जे. [2016] 3 एससीआर 579

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

(2015) 16 एस. सी. सी. 530

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1991] 3 एससीआर 189

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[1976] 1 एससीआर 6

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1963] 2 पूरक। एससीआर 724

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2018] 7 एससीआर 1191

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2012] 3 एससीआर 52

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2014] 8 एससीआर 1021

पै

रा 32

संदर्भित किया गया है

[2017] 13 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1952] एससीआर 1122

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2016] 1 एससीआर 762

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

[1998] 2 एससीआर 870

संदर्भित किया गया है

पै

रा 47

[2013] 12 एससीआर 205

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1979] 2 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पै

रा 54

[2010] 11 एससीआर 669

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

अजय रस्तोगी के अनुसार, जे। [2017] 13 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

989 2018 से।

उच्च न्यायालय के 02.02.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की सं. 1188 आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन (अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ओ के विरुद्ध) में अहमदाबाद में गुजरात का।

गुजरात राज्य बनाम। मानसुखभाई कांजीभाई शाह

अमन लेखी, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, पी. एस. नरसिम्हा, हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, मितुल शेलत, अंशुमन श्रीवास्तव, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, अनिरुद्ध पी. मयी, ए. राजाराजन, उज्जवल सिन्हा, सुश्री महक एच., संजीव के. चौधरी, अधिवक्ता। , उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

एन. वी. रमना, जे.

1. भ्रष्टाचार मनुष्यों की नैतिकता को खतरे में डालने वाली बीमारी की घातक अभिव्यक्ति है। एक आम धारणा है कि भ्रष्टाचार में भारत सार्वजनिक जीवन के सभी कोनों में फैल गया है और वर्तमान में प्रस्तावना में निहित संवैधानिक आकांक्षाओं को दबा रहा है। इस संदर्भ में, यह मामला इस अदालत की आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमता है कि वह भारत बनाने की सुविधा प्रदान करे।

भ्रष्टाचार मुक्त। 2. यह अपील अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक संशोधन आवेदन (अधीनस्थ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ) में पारित किए गए विवादित फैसले और अंतिम आदेश से है।

न्यायालय) 2017 की सं. 1188।

3. इसमें प्रतिवादी कथित तौर पर सुमनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट का न्यासी है, जिसने इसकी स्थापना और प्रायोजन किया था।

' 'सुमनदीप विद्यापीठ', एक मानद विश्वविद्यालय है, जो संस्थान है।

4. मामले के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 2017 की आई-ई. आर. संख्या 3, दिनांक 28.02.2017 होने के कारण एक प्राथमिकी एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी। Dr.Jasminaben, दिलीप भाई देवड़ा की पत्नी, वडोदरा सिटी ए. सी. बी. पुलिस स्टेशन के सामने, वर्तमान सहित चार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ

उत्तरदाता। मोटे तौर पर, आरोप थे कि शिकायतकर्ता की बड़ी बेटी को वर्ष 2012 में उपर्युक्त मानद विश्वविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी की पाठ्यक्रम फीस का पूरा भुगतान वार्षिक शुल्क स्लैब के अनुसार किया गया था। वर्ष 2017 में, उनकी बड़ी बेटी को अपना अंतिम परीक्षा प्रपत्र भरते समय, इसमें प्रतिवादी से मिलने के लिए कहा गया था। बैठक में, प्रतिवादी ने दूसरों के साथ साजिश में बताया था कि शिकायतकर्ता के पति को शिकायतकर्ता की बेटी को परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए बीस लाख रुपये का और भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा, यह आरोप लगाया जाता है कि आरोपी-प्रतिवादी

उन्होंने सूचित किया था कि वे एक चेक जमा कर सकते हैं और इसे नकद भुगतान पर वापस कर दिया जाएगा, यह देखते हुए कि विमुद्रीकरण ने

हाल ही में हुआ। उसी के बदले में, [2020] 9 एस. सी. आर. के साथ चेक जमा किए गए थे।

अभियुक्त-यहाँ प्रतिवादी। इसके बाद, शिकायतकर्ता, जो राशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं था, ने प्राथमिकी दर्ज की।

5. आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, मुद्रा नोटों पर फेनॉल्फथेलिन पाउडर लगाया गया और आरोपी विनोद उर्फ भारतभाई सावंत (मुद्रा के कथित साथी/एजेंट) को दिया गया।

प्रत्यर्थी जिसके माध्यम से मांग को सुविधाजनक बनाया गया था)। इसके बाद, आरोपी विनोद ने प्रतिवादी को पैसे की प्राप्ति की पुष्टि की।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7,8,10 और 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत [जिसे इसके बाद पीसी अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है] पढ़ें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 109 के साथ [इसके बाद संदर्भित]

आई. पी. सी. के रूप में ']।

7. प्रतिवादी ने 2017 के विशेष ए. सी. बी. मामले संख्या 2 में जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष सी. आर. पी. सी. की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया। जिला और सत्र न्यायालय ने दिनांक 29.11.2017 के एक आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। 8. उपरोक्त आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने आपराधिक होने के नाते एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया

अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का पुनरीक्षण आवेदन संख्या 1188। उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.02.2018 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पुनरीक्षण की अनुमति दी और इसमें अभियुक्त प्रतिवादी को आरोपमुक्त कर दिया।

9. विवादित आदेश से व्यथित गुजरात राज्य इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रहा है।

10. अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि पीसीएक्ट एक व्यापक क़ानून है जिसे रोकने के लिए पारित किया गया था।

भ्रष्टाचार और इसलिए, उदारतापूर्वक यह समझा जाना चाहिए कि विधायिका का इरादा उपरोक्त अधिनियमों को शामिल करना है, जो बड़े पैमाने पर जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, पीसी अधिनियम के दायरे में। पीसीएक्ट एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य लोक सेवकों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है और इसे इस तरह से बनाया गया है ताकि इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। न्यायालय, गुजरात राज्य को रखते हुए v.

11. वकील ने आगे तर्क दिया कि सार्वजनिक कार्य राज्य का अनन्य क्षेत्र नहीं होना चाहिए; विश्वविद्यालय जैसे निजी संस्थान भी सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं। वकील ने मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम पर निर्भरता रखी। मध्य राज्य प्रदेश। , (2016) 7 एस. सी. सी. 353 और जेनेट जेयापॉल बनाम। एसआरएम विश्वविद्यालय। , (2015) 16 एस. सी. सी. 530 में कहा गया है कि जनता को शिक्षा प्रदान करना एक कल्याणकारी गतिविधि है और इसलिए इसे सार्वजनिक भलाई के लिए की गई गतिविधि कहा जा सकता है। यू. जी. सी. के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए, वकील ने प्रस्तुत किया कि मानद विश्वविद्यालय जनता को शिक्षा प्रदान करने के सार्वजनिक कार्य को प्रभावी ढंग से करते हैं।

12. इसके अलावा, वकील ने के. वीरास्वामी बनाम के मामले पर भरोसा रखा। भारत संघ, (1991) 3 एस. सी. सी. 655 यह प्रस्तुत करने के लिए कि सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक के बीच स्वामी-सेवक संबंध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पी. सी. अधिनियम नहीं है

लोक सेवक को परिभाषित करें, बल्कि यह उसी की श्रेणियां प्रदान करता है। वकील ने आगे कहा कि मंजूरी देने के लिए किसी भी अधिकार की कमी के परिणामस्वरूप गैर-अभियोजन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थितियों में मंजूरी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में, प्रचुर सावधानी बरतते हुए चैरिटी आयुक्त से मंजूरी प्राप्त की गई थी।

13. अंत में, वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी था

सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना। वर्तमान तथ्यों में, परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले प्रत्यर्थी को भुगतान करना एक पूर्व शर्त थी, हालाँकि उसे कभी भी औपचारिक रूप से यह कार्य या भूमिका नहीं सौंपी गई थी। इसलिए वकील ने

निष्कर्ष निकाला कि सकारात्मक आदेश की आवश्यकता नहीं है कानून के तहत अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना। वास्तव में, प्रदान की गई सेवा के बदले पारिश्रमिक या भुगतान प्रदान करने की कोई औपचारिक आवश्यकता नहीं हो सकती है।

14. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से वकील ने प्रस्तुत किया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक आपराधिक क़ानून का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां दो व्याख्याएं संभव हैं, न्यायालयों को उस निर्माण की ओर झुकना चाहिए जो विषय को छूट देता है।

उसी के बजाय दंड से जो उसी को लागू करता है।

15. वकील ने आगे जोरदार तर्क दिया कि प्रतिवादी,

न्यासी होने के नाते, लोक सेवक नहीं कहा जा सकता है। वहाँ कोई नहीं है आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी किसी भी पद [2020] 9 एस. सी. आर. पर था।

या उस संस्थान में पद जो विश्वविद्यालय माना जाता था या वह संस्थान द्वारा कोई सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। उपरोक्त तथ्य के आलोक में, उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी को इस रूप में निर्वहन करने में सही था वह पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi) के दायरे में योग्य नहीं है।

16. इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि धारा 2 (सी) (xi) के तहत निर्धारित प्रासंगिक प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि उक्त संस्थान एक "मानित विश्वविद्यालय" था। अंत में, वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई वैध या उचित मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। चैरिटी आयुक्त से प्राप्त मंजूरी वैध नहीं है क्योंकि उसे एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसके पास किसी न्यासी को हटाने या नियुक्त करने की शक्ति नहीं है।
17. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यहाँ जिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है, वे हैं -

आई. क्या प्रत्यर्थी-न्यासी एक 'लोक सेवक' है

पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत?

ii. क्या अभियुक्त-प्रतिवादी को इसके तहत आरोपमुक्त किया जा सकता है

सीआरपीसी की धारा 227?

18. हमारे सामने पहला सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी जो कथित रूप से सुमनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी है।

स्थापित और प्रायोजित उक्त विश्वविद्यालय ('मानद विश्वविद्यालय') पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत एक 'लोक सेवक' है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः पहला, क्या 'मानद विश्वविद्यालय' भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत आता है, और दूसरा, क्या 'प्रतिवादी-न्यासी' को पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi) के तहत 'लोक सेवक' कहा जा सकता है?
19. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें पीसी अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता हैः

2 (ग.) "। लोक सेवक "का अर्थ है

(xi) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संस्थान का कुलपति या सदस्य हो।

किसी भी विश्वविद्यालय के शासी निकाय, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी, जिसे किसी भी पदनाम से जाना जाता है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी सेवाओं का उपयोग किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। परीक्षा आयोजित करने या आयोजित करने के संबंध में विश्वविद्यालय या कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण; गुजरात राज्य v.

20. सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति, जो कुलपति है, किसी भी शासी निकाय का कोई भी सदस्य, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता, कोई भी अन्य व्यक्ति।

किसी भी विश्वविद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी को किसी भी पदनाम से लोक सेवक कहा जाता है। इसके अलावा, इस परिभाषा में किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसकी सेवाओं का लाभ किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा परीक्षा आयोजित करने या आयोजित करने के संबंध में लिया गया है। 21. हालाँकि, इस मामले में व्याख्यात्मक आवश्यकता इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि 'विश्वविद्यालय' शब्द का दायरा, जैसा कि नीचे होता है

पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi) को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और सवाल यह उठता है कि क्या इनमें 'मानित विश्वविद्यालय' भी शामिल है। इस संबंध में, हमें पी. सी. अधिनियम से संबंधित व्याख्या पर कुछ बुनियादी नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।

22. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रों का निर्माण विश्वास पर होता है। यह अपरिहार्य है कि लोकतंत्र में किसी को सत्ताधारियों पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है

23. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया कि पी. सी. अधिनियम, एक कल्याणकारी कानून होने के नाते, इसकी संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है, और इसके बजाय, इसके लिए एक व्यापक व्याख्या प्रदान करने की आवश्यकता है। एम. वी. नरसिम्हन (1975) 2 एस. सी. सी. 377; एम. नारायणन नांबियार बनाम। केरल राज्य, (1963) सप. (2) एससीआर 724]।

24. किसी भी दंडात्मक कानून के लिए व्याख्या का सुनहरा नियम उसी की सख्ती से व्याख्या करना है, जब तक कि कोई संवैधानिक विचार न हों।

संलिप्तता और अस्पष्टता के मामलों में, उसी का लाभ अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद, हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सख्त व्याख्या का मतलब सभी मामलों में शाब्दिक व्याख्या नहीं है, बल्कि व्याख्या में [2020] 9 एस. सी. आर. के वास्तविक महत्व के संबंध में होना चाहिए।

शब्द, उनके सामान्य अर्थ में लिए गए हैं [सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम देखें। दिलीप कुमार एंड कंपनी, (2018) 9 एससीसी 1]।

25. हालाँकि, हम यहाँ व्याख्या करने के बारे में चिंतित हैं

पी. सी. अधिनियम के प्रावधान। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार व्यापक है। राष्ट्र पर इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट है, इस तथ्य के कारण कि भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में, यह कहा जा सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में, हमें यह कहना चाहिए कि हालांकि भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून काफी सख्त हैं, लेकिन कभी-कभी इनके प्रसार और प्रवर्तन को अप्रभावी होने के रूप में आलोचना की जाती है। इसके कारण, आर्थिक और सामाजिक न्याय की संवैधानिक आकांक्षाओं का दैनिक आधार पर त्याग किया जाता है। उपरोक्त संदर्भ में हमें संबंधित मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।

26. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। मनमोहन सिंह, (2012) 3 एससीसी

64 , इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 68. आज हमारे देश में भ्रष्टाचार न केवल एक गंभीर खतरा है

संवैधानिक शासन की अवधारणा के लिए, यह भी खतरा है

भारतीय लोकतंत्र और कानून के शासन की नींव। द. हमारे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का परिमाण इसके साथ असंगत है

उन्होंने कहा कि जहां भ्रष्टाचार शुरू होता है, वहां सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। भ्रष्टाचार मानवाधिकारों का अवमूल्यन करता है, विकास को रोकता है और कमजोर करता है

न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो हमारे समाज में मूल मूल्य हैं।

प्रीएम्बुलर दृष्टि। अतः न्यायालय का कर्तव्य यह है कि

किसी भी भ्रष्टाचार विरोधी कानून की व्याख्या करनी होगी और उस पर काम करना होगा के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस तरह से बाहर

भ्रष्टाचार। यह ऐसी स्थिति में कहना है जहाँ दो

उसे स्वीकार करें जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है जो इसे कायम रखने का प्रयास करता है "।

(जोर दिया गया)

27. तदनुसार हम उपरोक्त सिद्धांतों का उचित सम्मान करेंगे।

यहाँ प्रावधानों की व्याख्या करते हुए। विवाद का मुद्दा इस बात से संबंधित है कि क्या एक मानित विश्वविद्यालय को पीसी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाएगा, विशेष रूप से उसी की धारा 2 (सी) (xi) के तहत, जहां उपयोग किया जाने वाला शब्द "विश्वविद्यालय" है। अपीलार्थी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग गुजरात राज्य की धारा 2 (सी) (xi) में किया गया है।

मनसुखभाई कांजीभाई शाह [एन. वी. रमना, जे.]

अधिनियम की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए। एक संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 [यू. जी. सी. अधिनियम] के तहत "विश्वविद्यालय माना जाता है" समाज में "विश्वविद्यालय" के समान भूमिका निभाता है। इन संस्थानों का डिग्री प्रदान करने का सामान्य सार्वजनिक कर्तव्य है, जो अंततः समाज में मान्यता प्राप्त योग्यताएं हैं। एक संस्था के रूप में

जो "विश्वविद्यालय माना जाता है", जैसे कि वर्तमान मामले में संस्थान, अधिनियम के तहत उपयोग किए जाने वाले "विश्वविद्यालय" शब्द के दायरे में शामिल है।

28. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रतिवादी, विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करता है कि पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi) में उपयोग किए गए "विश्वविद्यालय" शब्द में एक ऐसा संस्थान शामिल नहीं है जिसे "विश्वविद्यालय माना जाता है"। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यू. जी. सी. अधिनियम के तहत "विश्वविद्यालय" की समावेशी परिभाषा केवल वित्त पोषण के सीमित उद्देश्य के लिए है, और एक संस्थान जिसे "विश्वविद्यालय माना जाता है" किसी अन्य उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रस्तुत किया कि यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधानों से यह बहुत स्पष्ट है, जो "विश्वविद्यालय" और "विश्वविद्यालय के अलावा अन्य" संस्थान के बीच अंतर करता है, जिसे "विश्वविद्यालय माना जाता है"।

29. इस मोड़ पर, धारण करने पर विचार करना उचित होगा

उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विवादित फैसले में कहाः

" 27 ..... हालाँकि, तथ्य यह है कि या तो न्यासी के रूप में या

विद्यापीठ, जो सरकार प्राप्त करने वाला नियमित विश्वविद्यालय नहीं है किसी भी तरह से अनुदान और इस प्रकार, जब कोई नहीं है

यह विवाद कि यह केवल एक मानद विश्वविद्यालय है, प्रस्तुतियाँ

आवेदक की ओर से ऊपर अभिलिखित यह स्पष्ट करता है

कि इस तरह के मानद विश्वविद्यालय को नियमित नहीं माना जा सकता है

विश्वविद्यालय और इस प्रकार, आवेदक को एक नहीं कहा जा सकता है

लोक सेवक और इसलिए, इस तरह के परिवर्तन की परवाह किए बिना

शिकायत के बाद रिपोर्ट करें, यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि

आवेदक को लोक सेवक नहीं कहा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

30. प्रत्यर्थी के वकील ने तर्क दिया है कि शब्द

" विश्वविद्यालय "को यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ), 3 और 23 के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें एक" मानित विश्वविद्यालय "से अलग है।

एक "विश्वविद्यालय", स्ट्रिक्टो सेंसु। हालाँकि, हम नीचे दिए गए कारणों से इस तरह के विवाद को स्वीकार नहीं करते हैं।

31. प्रत्यर्थी का तर्क है कि "विश्वविद्यालय" शब्द को यू. जी. सी. अधिनियम के अनुसार पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें केवल वे ही हैं जो

यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत आने वाले विश्वविद्यालय पी. सी. अधिनियम के तहत आते हैं। एक अलग अधिनियम के तहत तकनीकी परिभाषा का आयात करके इस तरह की व्याख्या यहां संभव नहीं हो सकती है। यह एक स्थापित कानून है कि एक क़ानून के तहत तकनीकी परिभाषाओं को दूसरे क़ानून में आयात नहीं किया जाना चाहिए जो पहले के साथ समान सामग्री में नहीं है। यू. जी. सी. अधिनियम और पी. सी. अधिनियम ऐसे अधिनियम हैं जो अपने उद्देश्य, संचालन और उद्देश्य में पूरी तरह से अलग हैं। यू. जी. सी. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है

कि यह विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है, और उस उद्देश्य के लिए,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना '। दूसरी ओर,

पी. सी. अधिनियम एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य देश में भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाना है। इस प्रकार, एक अधिनियम के तहत उपयोग की जाने वाली तकनीकी परिभाषाओं का दूसरे में विस्तार उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अधिनियम एक दूसरे के समान नहीं हैं।

32. कानून के उपरोक्त सिद्धांत को हाल ही में 3-न्यायाधीश द्वारा लागू किया गया था।

बैंगलोर टर्फ क्लब लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की पीठ। क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. निगम, (2014) 9 एस. सी. सी. 657, जहां वकील द्वारा एक तर्क दिया गया था कि ई. एस. आई. अधिनियम के तहत 'दुकान' शब्द की व्याख्या संबंधित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत उसी की परिभाषा के आलोक में निर्धारित की जानी चाहिए। वकीलक एहि तर्ककेँ नकारैत न्यायालय ई अभिनिर्धारित कयलक जेः

" 52. यहाँ अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया एक तर्क "पैरी मैटेरिया के सिद्धांत" से संबंधित मुद्दा है। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि ई. एस. आई. अधिनियम "दुकान" शब्द को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत परिभाषाओं के आलोक में उक्त परिभाषा का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य और उद्देश्य है।

दोनों अधिनियम एक ही हैं।
53. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, "पैरी मैटेरिया के सिद्धांत" की अवधारणा पर गौर करना और आगे पता लगाना आवश्यक होगा।

क्या दिए गए कानून वास्तव में ई. एस. आई. के समान हैं एक्ट करें। यह तय किया गया कानून है कि दो क़ानूनों को एक ही विषय-वस्तु से निपटने पर एक-दूसरे के साथ समान रूप से संबंधित कहा जाता है। इस नियम के पीछे का तर्क व्याख्यात्मक पर आधारित है

यह धारणा कि विधानों में प्रयुक्त शब्दों का उपयोग समान अर्थों में किया जाता है। हालाँकि, इस धारणा का गुजरात राज्य v द्वारा खंडन किया जा सकता है।

मनसुखभाई कांजीभाई शाह [एन. वी. रमना, जे.]

कानूनों का संदर्भ। सदरलैंड के अनुसार क़ानून और सांविधिक निर्माण, खंड। 2 , 3 आरडी एडन। :

" क़ानूनों को एक ही विषय से संबंधित होने के लिए समान सामग्री में माना जाता है-जब वे एक ही व्यक्ति या चीजों से संबंधित होते हैं, या व्यक्तियों या चीजों के एक ही वर्ग से संबंधित होते हैं, या एक ही उद्देश्य या उद्देश्य रखते हैं।

58. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हालांकि ई. एस. आई. अधिनियम, 1948 अधिनियम और 1961 अधिनियम श्रम और कामगारों से संबंधित हैं।

सार और आत्मा उनके पास एक अलग दायरा है और आवेदन। अधिनियमों में कोई ओवरलैप प्रतीत नहीं होता है

उनके संचालन के क्षेत्र और पारस्परिक रूप से अनन्य हैं

योजनाएं। इसलिए, यह तर्क कि अधिनियम परिमाणीयता हैं

59. इस न्यायालय को उस मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए जो उत्पन्न हुआ था तर्कों का पाठ्यक्रम कि "दुकान" शब्द किया गया है

विवादित अधिसूचनाओं के साथ-साथ 1948 के अधिनियम में उपयोग किया गया और 1961 अधिनियम और इसलिए सहायता ली जा सकती है।

अधिसूचना की व्याख्या करने के लिए बाद के कानूनों से। यह

उपरोक्त चर्चा के आलोक में तर्क अपील नहीं करता है।

हमारे लिए। '99

(जोर दिया गया)

यह उसी तर्क के लिए है कि हमारी राय है कि

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर उच्च न्यायालय की निर्भरता। रबी शंकर पात्रो, (2018) 1 एस. सी. सी. 468 उचित नहीं था, क्योंकि यह विश्वविद्यालयों के प्रशासन/विनियमन से संबंधित अधिनियमों के संदर्भ में था, और पी. सी. अधिनियम के उद्देश्यों से असंबद्ध है।

33. यह हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि यू. जी. सी. अधिनियम का उद्देश्य

पी. सी. अधिनियम के तहत उधार नहीं लिया जा सकता है, और पी. सी. अधिनियम के तहत आने वाले "विश्वविद्यालय" शब्द के लिए एक स्वतंत्र अर्थ प्रदान करने की आवश्यकता है। भारत में यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) और 12 बी के तहत 12,206 विश्वविद्यालय हैं। जबकि 23.06.2008 के अनुसार पूरे भारत में लगभग 124 मानद विश्वविद्यालय हैं। भारत में शिक्षा क्षेत्र में सामान्य वृद्धि देखी गई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि शिक्षा क्षेत्र, जो देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है, ने विभिन्न [2020] 9 एस. सी. आर. देखे हैं।

घोटालों। इस संदर्भ में, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या एक मानित विश्वविद्यालय पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi) के दायरे में आएगा।

34. पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के अवलोकन पर, हम अवलोकन कर सकते हैं

कि जोर किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए पद पर नहीं है, बल्कि यह उसके द्वारा किए गए सार्वजनिक कर्तव्य पर है। इस संबंध में, विधायी इरादा अधिकारियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करना नहीं था, बल्कि इसके तहत 'लोक सेवक' की एक सामान्य परिभाषा प्रदान की गई है। यह "विश्वविद्यालय" शब्द की परिभाषा के रूप में एक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रमाण प्रदान करता है।

35. शब्द के बारे में हमारी समझ में किसी भी 'का उपयोग महत्वपूर्ण है।

विश्वविद्यालय। हम अधिकारियों की लाइन से अवगत हैं, जिसमें इस न्यायालय ने 'कोई' शब्द के प्रभाव को घटाकर 'प्रत्येक' नहीं कर दिया है [हीरा देवी बनाम देखें। जिला बोर्ड, शाहजहांपुर, (1952) एस. सी. आर. 1122]। हालाँकि, हम इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि जिस संदर्भ में वर्तमान विवाद उत्पन्न होता है, वह उपरोक्त से अलग है।

36. खंडों पर टिप्पणियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक दिनांक 20.02.1987। भारत के राजपत्र में खंडों पर टिप्पणियों का खंड 2, असाधारण, भाग II, धारा 2, विधायी इरादे को स्पष्ट करता है, जिसमें इसकी टिप्पणी निम्नानुसार की गई थीः

" 2. यह खंड विधेयक में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है। खंड

2 (ग) 'लोक सेवक' को परिभाषित करता है। वर्तमान परिभाषा में नियोक्ता प्राधिकरण और प्राधिकरण पर जोर दिया जाता है

पारिश्रमिक लेते हैं। प्रस्तावित परिभाषा में जोर दिया गया है

सार्वजनिक कर्तव्य पर। 'चुनाव' की परिभाषा इस पर आधारित है कि दंड संहिता, 1860 में इस अभिव्यक्ति की परिभाषा। "

(जोर दिया गया)

37. इसके अलावा हमारा ध्यान विधायी बहसों की ओर आकर्षित किया जाता है।

जो पीसी अधिनियम के अधिनियमन से पहले हुआ था। यह पार्टी लाइन में एक समान था कि शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य पर जोर दिया गया।

38. व्याख्या के बाहरी साधनों पर आते हुए,

"विश्वविद्यालय" शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से लैटिन शब्द "यूनिवर्सिटास मैजिस्ट्रोरम एट स्कॉलरियम" से लिया गया है, जिसका मोटे तौर पर अर्थ है "शिक्षकों और विद्वानों का समुदाय"। ब्लैक का कानून शब्दकोश "विश्वविद्यालय" को परिभाषित करता है। के रूप में:

टी. ई. ऑफ गुजरात बनाम. मनसुखभाई कांजीभाई शाह [एन. वी. रमना, जे.]

" उच्च शिक्षा का एक संस्थान, जिसमें एक समूह शामिल है एक निगमित संगठन और सरकार के तहत एकजुट कॉलेज, कला और विज्ञान में शिक्षा प्रदान करते हैं और विद्वान

व्यवसाय, और डिग्री प्रदान करना। कॉम देखें। वी. बैंक, 198 पा.

397. 48 अटल। 277. " 39. लॉ लेक्सिकन, इसे इस प्रकार परिभाषित करता हैः

" शिक्षा की उच्च शाखाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का एक निगम या विद्वान पुरुषों या कॉलेजों का एक समूहः ; और डिग्री प्रदान करने की शक्ति होना।

विश्वविद्यालय। एक ऐसा स्थान जहाँ सभी प्रकार के साहित्य सार्वभौमिक रूप से पढ़ाए जाते हैं। (टॉमलिन का कानून डिक।) 1904 का अधिनियम VIII, धारा 2 भी देखें।

सी. एल. (2) (सी)। सामान्य प्रकार के विश्वविद्यालय को लोकप्रिय भाषा में शिक्षकों और शिक्षार्थियों के एक संगठन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

एक निश्चित क्षेत्र में, प्रकृति के अध्ययन के उद्देश्य से, जिसमें शिक्षकों के निकाय को शिक्षार्थियों की प्रवीणता को प्रमाणित करने का अधिकार है, उन्हें उपाधियाँ प्रदान करके, यह दर्शाता है कि उनके पास योग्यताएँ भी हैं और उन्हें उन लोगों के पद पर भर्ती किया जाता है जो ज्ञान की उस विशेष शाखा में सीखी जाती हैं जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है।

'विश्वविद्यालय' शब्द का अर्थ आमतौर पर सीखने के उद्देश्य से शामिल एक निकाय के रूप में समझा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान होते हैं।

दान और विशेषाधिकार। इस तरह के निकायों की स्थापना प्राचीन काल में पोप बैल या चार्टर द्वारा की गई थी, बाद में शाही चार्टर या अधिनियम द्वारा।

संसद। विश्वविद्यालय एक निगम समुच्चय है-एकत्रीकरण निगमों के-निगम आमतौर पर कॉलेज या

स्कूल "।

40. हैल्सबरी का तीसरा संस्करण, खंड 13, पृष्ठ 707, पैरा में "विश्वविद्यालय" शब्द से संबंधित है। उसी के अनुसारः

" विश्वविद्यालय शब्द कला का शब्द नहीं है और, हालांकि

जिन संस्थानों को यह संदर्भित करता है, वे आसानी से पहचाने जाने योग्य, सटीक हैं।

परिभाषा कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय की आवश्यक विशेषताएँ यह हैं कि इसे संप्रभु शक्ति द्वारा शामिल किया गया था।

एक विश्वविद्यालय की अन्य विशेषताएँ प्रवेश प्रतीत होती हैं - दुनिया के सभी हिस्सों के छात्र, परास्नातकों की एक बहुलता, कम से कम एक उच्च संकाय, अर्थात् धर्मशास्त्र, [2020] 9 एस. सी. आर.

कानून या दर्शन, जिसे कुछ परिभाषाओं में समान माना जाता है, और चिकित्सा, निवास के लिए प्रावधान, और डिग्री प्रदान करने का अधिकार, लेकिन इन विशेषताओं का अधिकार किसी संस्थान को विश्वविद्यालय नहीं बना देगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का कोई स्पष्ट इरादा नहीं है।

निगमन प्राचीन काल से बाद में पोप बैल या चार्टर से प्रभावित था।

शाही चार्टर या संसद के अधिनियम द्वारा। 41. शब्दों और वाक्यांशों में, स्थायी एडन। (वेस्ट पब्लिशिंग

लेकिन), "विश्वविद्यालय" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" विश्वविद्यालयः

राजनीतिक और निगमित निकायों को अंत में सिसेरो के समय के रूप में अस्तित्व में माना जाता है, और गायस उन्हें एथेंस के सोलन के कानूनों से भी जोड़ता है, जो लगभग 500 साल पहले रहते थे। और अनादिकाल से, आज के रूप में, व्यक्तियों का एक निगम या कृत्रिम निकाय होने का यह विशेषाधिकार, जिसमें उनकी संपत्ति, अधिकारों और उन्मुक्ति को कानूनी रूप से संगठित निकाय के रूप में रखने की शक्ति है और इसे व्यक्तियों की संपत्ति के प्राकृतिक उत्तराधिकार से अलग एक कृत्रिम उत्तराधिकार द्वारा ऐसे निकाय में प्रसारित करने को एक मताधिकार माना जाता है जो

सरकार से उस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्राधिकरण के बिना किसी भी संबद्ध निकाय द्वारा कानूनी रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता है या

संप्रभु शक्ति "।

42. यू. जी. सी. अधिनियम के तहत, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित और मान्यता प्राप्त है-धारा 2 (एफ):

" "विश्वविद्यालय" से केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय के परामर्श से ऐसा कोई भी संस्थान शामिल है जो ऐसा कर सके।

संबंधित, आयोग द्वारा इसके अनुसार फिर से नियुक्त किया जाए

इस अधिनियम के तहत इस संबंध में बनाए गए विनियम।

43. एक 'डीम्ड विश्वविद्यालय' को धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त है

जी. सी. अधिनियम, निम्नलिखित तरीके सेः

उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में अधिनियम का अनुप्रयोग अन्य

विश्वविद्यालयों की तुलना में

3. केंद्र सरकार, आयोग की सलाह पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि कोई भी संस्थान गुजरात राज्य v.

मनसुखभाई कांजीभाई शाह [एन. वी. रमना, जे.]

उच्च शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय के अलावा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय माना जाएगा, और ऐसी घोषणा किए जाने पर, इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे संस्थान पर लागू होंगे जैसे कि यह धारा 2 के खंड (च) के अर्थ के भीतर एक विश्वविद्यालय था।

44. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, पी. सी. अधिनियम का उद्देश्य न केवल रिश्वत और भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई को रोकना था, बल्कि यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिन्हें पारंपरिक रूप से लोक सेवक नहीं माना जा सकता है। पी. सी. अधिनियम के तहत उद्देश्य उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना था जिन्हें पारंपरिक रूप से सार्वजनिक अधिकारी कहा जाता है, उन व्यक्तियों की ओर

जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अपीलार्थी-राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक "मानित विश्वविद्यालय" और उसके अधिकारी, एक विश्वविद्यालय सरलीकरणकर्ता और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए सार्वजनिक कर्तव्यों से कम या कोई अलग कार्य करते हैं।

45. इसलिए, उपरोक्त सभी कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि पीसी अधिनियम की धारा 2 (सी) (xi) के तहत "मानद विश्वविद्यालय" को "विश्वविद्यालय" शब्द के दायरे से बाहर रखा गया है। 46. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, वर्तमान मामले में, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी-बोर्ड ऑफ डीम्ड में ट्रस्टी है।

विश्वविद्यालय 'होना पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत आने वाला एक' लोक सेवक 'है। हाल ही में, यह न्यायालय सी. बी. आई. बनाम के मामले में। रमेश गेली, (2016) 3 एस. सी. सी. 788 ने इस सवाल पर चर्चा की कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय से पहले किसी निजी बैंक के अध्यक्ष, निदेशक और अधिकारियों को पी. सी. अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए लोक सेवकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कानून के उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पी. सी. अधिनियम के उद्देश्य और दायरे का विश्लेषण किया और निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 15. पी. सी. विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाना था।

इसके दायरे का विस्तार करके अधिक प्रभावी। यह भी स्पष्ट है कि यह विधेयक "लोक सेवक" की परिभाषा के दायरे को व्यापक बनाने के लिए पेश किया गया था। पी. सी. अधिनियम, 1988 से पहले यह था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 और आई. पी. सी. के अध्याय IX में धारा 161 से 165-ए जो भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित कानून के क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे थे। संसद ने [2020] 9 एस. सी. आर. की रोकथाम को निरस्त कर दिया।

जैसा कि पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 30 और 31 के तहत प्रदान किया गया है। तब से "लोक सेवक" की एक नई परिभाषा पीसी अधिनियम के तहत दी गई है,

1988 , यहाँ "सार्वजनिक" की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

नौकर "आई. पी. सी. की धारा 21 में दिया गया है।

.....

17. उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि उपखंड (viii) के तहत पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 2 (सी) में निहित एक व्यक्ति जो

एक पद धारण करता है जिसके आधार पर वह अधिकृत या आवश्यक है किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करना, एक लोक सेवक है। अब, के लिए

वर्तमान मामले के उद्देश्यों की इस न्यायालय को जांच करने की आवश्यकता है चाहे अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक

आर. बी. आई. द्वारा जारी लाइसेंस के तहत काम करने वाले निजी बैंक का

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, एक पद धारण करता है और निष्पादित करता है। सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करता है ताकि "सार्वजनिक" की परिभाषा को आकर्षित किया जा सके।

सेवक "ऊपर उद्धृत"।

(जोर दिया गया)

47. पी. वी. नरसिम्हा राव बनाम के मामले में यह न्यायालय। राज्य (सी. बी. आई /

, (1998) 4 एस. सी. सी. 626 ने निम्नलिखित में "कार्यालय" शब्द को स्पष्ट किया हैः

एरः

" 61. ..... 'कार्यालय' शब्द का अर्थ आम तौर पर 'ए' समझा जाता है।

गठित प्राधिकारी के अधीन न्यास, प्राधिकरण या सेवा '। (ऑक्सफोर्ड देखें। लघु अंग्रेजी शब्दकोश, तीसरा संस्करण। , पी। 1362.)

मैकमिलन बनाम। गेस्ट, (1942) 1 ऑल ई. आर. 606 (एच. एल.), लॉर्ड राइट

उन्होंने कहा हैः

" ..... "कार्यालय" शब्द अनिश्चितकालीन सामग्री का है। यह विविध है।

अर्थ नए अंग्रेजी शब्दकोश के चार स्तंभों को शामिल करते हैं,

लेकिन मैं इस मामले के उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक मानता हूं निम्नलिखितः

" एक पद या स्थान जिससे कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं, विशेष रूप से कम या ज्यादा सार्वजनिक चरित्रों में से एक।

इसी मामले में लॉर्ड एटकिन ने निम्नलिखित अर्थ दियाः

..... " एक पद या रोजगार जो अस्तित्व में था, स्थायी,

मूल स्थिति, जिसका अस्तित्व टी. ई. ऑफ गुजरात V से स्वतंत्र था।

मनसुखभाई कांजीभाई शाह [एन. वी. रमना, जे.]

वह व्यक्ति जिसने इसे भरा था, जो आगे बढ़ता गया और उसमें भरा गया

क्रमिक धारकों द्वारा उत्तराधिकार। 999 '

स्टेट्समैन (पी) लिमिटेड बनाम। एच. आर. देब, ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1495

और महादेव बनाम। शांतिभाई, (1969) 2 एस. सी. आर. 422 इस न्यायालय ने

लार्ड राइट द्वारा दिए गए अर्थ को अपनाया जब यह कहा गयाः

' एक पद का अर्थ एक ऐसे पद से अधिक नहीं है जिसके लिए कुछ निश्चित पद हैं।

कर्तव्य संलग्न हैं। "

48. मनीष त्रिवेदी बनाम के मामले में यह न्यायालय। की स्थिति

स्थान, (2014) 14 एस. सी. सी. 420 ने इसके दायरे को और स्पष्ट किया

ई "लोक सेवक" "कार्यालय" की प्रासंगिकता पर जोर देकर,

में किए गए कर्तव्यों पर जोर दिया गया था। अदालत ने नोट किया

एनः

" 19. वर्तमान अधिनियम (1988 अधिनियम) में इसके विस्तार की परिकल्पना की गई है।

"लोक सेवक" अभिव्यक्ति की परिभाषा का दायरा। यह था।

लोक प्रशासन को शुद्ध करने के लिए लागू किया गया। विधायिका इसे प्राप्त करने के लिए "लोक सेवक" की एक व्यापक परिभाषा का उपयोग किया है

जनता के बीच भ्रष्टाचार को दंडित करने और रोकने का उद्देश्य

सेवक। इसलिए, सामग्री को सीमित करना अनुचित होगा

एक निर्माण द्वारा परिभाषा खंड जो इसके खिलाफ होगा

कानून की आत्मा। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम विचार करते हैं

अपीलार्थी के मामले में, हमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति है

अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर सेवक। खंड

(वर्तमान अधिनियम की धारा 2 (सी) की धारा viii किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह अधिकृत है या

किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के लिए, एक लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है। "कार्यालय" शब्द का अर्थ अनिश्चित है और

वर्तमान संदर्भ में, इसका अर्थ एक स्थिति या स्थान होगा जिस पर

कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं और एक अस्तित्व है जो है

उन व्यक्तियों से स्वतंत्र जो इसे भरते हैं।

(जोर दिया गया)

49. "सार्वजनिक" शब्द के आयाम की सराहना करने के लिए

"सार्वजनिक कर्तव्य" शब्द की प्रासंगिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

"एल. आई. सी. शुल्क" को पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो नीचे दिया गया है:

2 ((ख) 'सार्वजनिक कर्तव्य' से ऐसा कर्तव्य अभिप्रेत है जिसके निर्वहन में -

राज्य, जनता या बड़े पैमाने पर समुदाय की रुचि है।

50. जाहिर है, पी. सी. अधिनियम की धारा 2 (बी) की भाषा इंगित करती है कि कोई भी कर्तव्य निर्वहन जिसमें राज्य, जनता या समुदाय बड़े पैमाने पर

किसी भी हित को सार्वजनिक कर्तव्य कहा जाता है। धारा 2 का पहला स्पष्टीकरण आगे स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 2 के तहत बताई गई किसी भी श्रेणी में आता है, वह एक लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं। दूसरा स्पष्टीकरण आगे प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार करता है जो वास्तव में एक लोक सेवक के कार्यों का निर्वहन करता है, और यह कि उसे किसी भी कानूनी दुर्बलता या तकनीकी कारणों से लोक सेवक के दायरे में लाने से नहीं रोका जाना चाहिए।

51. वर्तमान मामले में, प्रथम दृष्टया मूल्यांकन पर

प्रवेश अनुदान, शुल्क संग्रह और दान राशि के संबंध में अंतिम प्राधिकरण था। 52. आरोप पत्र विशेष रूप से यह खुलासा करता है कि प्रतिवादी कथित रूप से निर्धारित शुल्क पर कुछ अतिरिक्त राशि एकत्र कर रहा था

छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति देने के बहाने। इसलिए, उत्तरदाता को कथित राशि का भुगतान करना परीक्षा में उपस्थित होने के लिए फॉर्म भरने से पहले एक पूर्व शर्त थी। विशेष रूप से, शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने सह आरोपी भरत सावंत को बीस लाख रुपये की राशि देने की मांग की थी, जिसमें विफल रहने पर शिकायतकर्ता की बेटी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। हमारी राय में, यह तथ्य कि छापे के दौरान बड़ी संख्या में चेक पाए गए थे, कथित अपराध के बारे में एक गंभीर संदेह स्थापित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

53. प्रत्यर्थी ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि वह "सुमनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट" के ट्रस्टी हैं और उनका "सुमनदीप विश्वविद्यालय" से कोई संबंध नहीं है। लेकिन, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नीचे की अदालतें न्यास और विश्वविद्यालय के बीच संबंध के साथ-साथ विश्वविद्यालय के साथ प्रतिवादी के संबंधों का विश्लेषण करने में विफल रही हैं। प्रथम दृष्टया, एक गंभीर संदेह बनाया गया है कि प्रतिवादी छात्रों के साथ व्यवहार करके अपनी सेवा प्रदान कर रहा था और

विश्वविद्यालय का परीक्षा पहलू। लेकिन विश्वविद्यालय के संबंध में प्रत्यर्थी की सटीक स्थिति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य की विस्तृत सराहना की आवश्यकता होती है।

टी. ई. ऑफ गुजरात बनाम. मनसुखभाई कांजीभाई शाह [एन. वी. रमना, जे.]

54. इस स्तर पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के संबंध में इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है और यह नहीं होना चाहिए तथ्यात्मक पहलू पर घूम-घूम कर पूछताछ करना

और भी। इस न्यायालय को भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, (3) एस. सी. सी. 4 में धारा 227 के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला था।

और यह निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 7. संहिता की धारा 227 इस प्रकार हैः

" यदि, मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और सुनवाई के बाद

इस ओर से अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें, न्यायाधीश का मानना है कि पर्याप्त आधार नहीं है

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, वह दोषमुक्त करेगा

अभियुक्त और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को दर्ज करें।

अभियुक्त "स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के कहने पर आरोप तय करने के लिए केवल एक डाकघर नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए कोई मामला बनाया गया है या नहीं, मामले के तथ्यों के लिए अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। इस तथ्य का आकलन करने में, अदालत के लिए मामले के पक्ष और विपक्ष में या साक्ष्य और संभावनाओं के वजन और संतुलन में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है जो वास्तव में मुकदमा शुरू होने के बाद उसका कार्य है। धारा 227 के स्तर पर, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन करनी होती है कि क्या या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। जमीन की पर्याप्तता इसकी प्रकृति को अपने तह में ले जाएगी

पुलिस द्वारा दर्ज साक्ष्य या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज

न्यायालय के समक्ष जो प्रत्यक्ष रूप से खुलासा करता है कि वहाँ हैं

अभियुक्त के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियाँ ताकि एक

उसके खिलाफ आरोप "।

55. इसके अलावा, सज्जन कुमार बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो,

(9) एस. सी. सी. 368, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी कीः

" 21.संहिता की धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारियों के विचार करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

((ii) जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री कब्र का खुलासा करती है।

अभियुक्त के खिलाफ संदेह जो ठीक से नहीं किया गया है [2020] 9 एस. सी. आर.

समझाया, अदालत एक आरोप तैयार करने में पूरी तरह से उचित होगी और

मुकदमे के साथ आगे बढ़ना "।

56. इसलिए, उपरोक्त प्रस्ताव के अनुरूप, यह मामला धारा 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित नहीं है।

अभियुक्त-प्रतिवादी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपमुक्त करना। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निर्णय एक सीमित उद्देश्य के लिए दिया गया है, और हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। निचली अदालत को मामले में तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।

57. तदनुसार, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपील की अनुमति है।

अजय रस्तोगी, जे।

1. मुझे मसौदा निर्णय को देखने का लाभ मिला है

मेरे सम्मानित भाई श्री न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना द्वारा प्रस्तावित। तर्क की उल्लेखनीय प्रक्रिया के आधार पर मेरे विद्वान भाई ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं वही जोड़ना चाहूंगा मेरे कुछ विचार, इसलिए नहीं कि निर्णय के लिए और विस्तार की आवश्यकता है, बल्कि कानून के उस प्रश्न की तलाश है जो काफी महत्व के साथ उभरा है।

2. वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न सामने आया है, वह यह है कि क्या 'मानित विश्वविद्यालय' के बोर्ड में प्रतिवादी-न्यासी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'अधिनियम 1988' के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (सी) (xi) के तहत आने वाला 'लोक सेवक' है।

3. भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए।

प्रणाली आधारित और नीति संचालित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता। भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन एकाधिकार को कम करके और निर्णय लेने में पारदर्शिता को सक्षम करके रणनीतिक रूप से कम किया जा सकता है। हालाँकि, भ्रष्टाचार मुक्त समाज को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक और नैतिक ताने-बाने को मजबूत करना दीर्घकालिक नीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

4. संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया था। हालाँकि, भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX में इससे निपटने के लिए प्रावधान हैं।

लोक सेवकों और आपराधिक कदाचार के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने वालों को भ्रष्टाचार के अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपर्याप्त पाया गया।

गुजरात राज्य बनाम। मनसुखभाई कांजीभाई शाह [अजय रस्तोगी, जे.]

5. भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए,

संसद में भ्रष्टाचार विधेयक पेश किया गया। अधिनियम, 1988 के उद्देश्य और कारणों के विवरण का उद्देश्य मौजूदा भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को उनके दायरे का विस्तार करके और प्रावधानों को मजबूत करके अधिक प्रभावी बनाना था। अधिनियम 1988 "दायित्व के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करके इसके व्यापक दायरे को पूरा करता है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से सार्वजनिक पद धारण करने वालों के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन किसी भी तरह से सीमित नहीं हैं।"

6. इससे संबंधित कई न्यायिक उदाहरण हैं -

भ्रष्टाचार की परिभाषा और अर्थ। भ्रष्टाचार की सबसे सरल परिभाषा है, एक लोक सेवक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए, अपने परिवार या दोस्तों के लिए आर्थिक या अन्य भौतिक लाभ हासिल करने के लिए कोई भी कार्य या चूक। अवसंरचना उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को संदर्भित करना उचित होगाः

(ग) "लोक सेवक" का अर्थ है - (i)-(x)।

(xi) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संस्थान का कुलपति या सदस्य हो।

शासी निकाय, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता या उनका कोई शिक्षक

या कर्मचारी, किसी भी पदनाम से, किसी भी

विश्वविद्यालय और कोई भी व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ उठाया गया है

परीक्षा आयोजित करना या आयोजित करना; (xii) "।

(जोर दिया गया)

7. यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि अधिनियम, 1988 से पहले, कर्मचारी

विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, पाठकों आदि को 'लोक सेवक' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में निहित था। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील को प्रस्तुत करने का जोर यह है कि इसमें प्रत्यर्थी जो मानित विश्वविद्यालय का न्यासी है, जिसे किसी भी तरह की कल्पना से लोक सेवक नहीं माना जा सकता है और यह अधिनियम, 1988 की धारा 2 (सी) (xi) के दायरे में नहीं आएगा। यद्यपि उच्च न्यायालय ने उक्त आधार पर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह अधिनियम, 1988 की धारा 2 (सी) (xi) के तहत जिस संदर्भ में "विश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख किया गया है, उसकी जांच की जानी चाहिए।

8. यू. जी. सी. अधिनियम की स्थापना 1956 के एक अधिनियम द्वारा की गई थी

[2020] 9 एस. सी. आर. के मानकों के समन्वय और निर्धारण के प्रावधान।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा। " विश्वविद्यालय को यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है और जिन्हें 'मानित विश्वविद्यालय' घोषित किया गया है, उन्हें यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्दिष्ट मानित विश्वविद्यालय पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ धारा 3 के तहत एक घोषणा को अधिसूचित किया जाना है। यू. जी. सी. अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ निम्नानुसार हैं:

एक्ट करें। धारा 3-केंद्र सरकार, आयोग की सलाह पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय माना जाएगा।

ऐसी घोषणा किए जाने पर, इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसी संस्था पर लागू होंगे जैसे कि वह धारा 2 के खंड (च) के अर्थ के भीतर एक विश्वविद्यालय हो। धारा 23-कोई भी संस्था, चाहे वह निगमित निकाय हो या नहीं,

केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय के अलावा, एक प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम किसी भी तरह से अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द को जोड़ने का हकदार होगा। बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो साल की अवधि के लिए, उस संस्था पर लागू नहीं होगी, जिसने इस तरह के प्रारंभ से तुरंत पहले

"विश्वविद्यालय" शब्द इसके नाम से जुड़ा हुआ है।

9. " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना या तो केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में की जाती है। साथ ही

केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किए जाने के बाद, वैधानिक अधिनियम के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा के लिए ऐसे संस्थानों को इस अधिनियम और यू. जी. सी. के सभी प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय माना जाएगा। अधिनियम ऐसे संस्थानों पर लागू होगा जैसे कि यह अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) के अर्थ के भीतर एक विश्वविद्यालय हो।

10. इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम, 1988, अपने पूर्ववर्ती के रूप में, जो कि उसी विषय पर 1947 का निरस्त अधिनियम है, को गुजरात राज्य में लाया गया था।

मनसुखभाई कांजीभाई शाह [अजय रस्तोगी, जे.]

रिश्वत की प्रभावी रोकथाम के घोषित उद्देश्य के साथ बल और भ्रष्टाचार। 1988 का अधिनियम, जो 1947 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है, में अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (सी) में 'लोक सेवक' की परिभाषा दी गई है, ताकि लोक प्रशासन को शुद्ध किया जा सके। अधिनियम के पारित होने के लिए विधेयक में निहित उद्देश्यों और कारणों की सहायता ली जा सकती है, जो उस पृष्ठभूमि को बताती है जिसमें कानून बनाया गया था। जब विधायिका ने सार्वजनिक कर्तव्य प्रदान करने वाले समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को दंडित करने और रोकने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए "लोक सेवक" की ऐसी व्यापक परिभाषा पेश की है, तो यह उचित होगा कि परिभाषा खंड की सामग्री को सीमित न किया जाए।

कानून।

11. अधिनियम, 1988 की धारा 2 (सी) (xi) को लागू करके, कोई भी व्यक्ति

या किसी भी पदनाम के साथ किसी भी शासी निकाय का सदस्य किसी भी विश्वविद्यालय को "लोक सेवक" की परिभाषा में शामिल किया गया है और किसी भी विश्वविद्यालय में सभी विश्वविद्यालय शामिल हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह

कानून के तहत स्थापित किया गया है या यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। यह सच है कि संसद ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानकों पर विचार करने और उनके निर्धारण के लिए यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंतर बताया है, लेकिन मेरे विचार में, विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है, जहां तक यह अधिनियम 1988 की धारा 2 (सी) (xi) के तहत परिभाषित 'लोक सेवक' शब्द से संबंधित है।

12. अधिनियम 1988 की धारा 2 के खंड (सी) में लोक सेवक की परिभाषा का अर्थ लगाने के लिए, न्यायालय को एक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है -

विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाएगा। विधायिका ने जानबूझकर, अधिनियम की धारा 2 के खंड (सी) और विशेष रूप से खंड (xi) में 'लोक सेवक' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए विशेष रूप से 'कोई भी' शब्द का पता लगाने का इरादा किया है जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह या रूप में किसी भी विश्वविद्यालय के मामलों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस संदर्भ में, विधायिका ने अधिनियम 1988 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों के लिए 'किसी भी' व्यक्ति या 'किसी भी' शासी निकाय के सदस्य को 'किसी भी' विश्वविद्यालय के किसी भी पदनाम से 'लोक सेवक' के रूप में संदर्भित किया है।

13. उड़ीसा लिफ्ट के फैसले पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी

सिंचाई निगम बनाम रबी शंकर 'जिसमें, दायरा और

इस न्यायालय द्वारा मानदंडों की जांच की गई थी जिसके तहत माना जाता है विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए विनियमों के तहत अपने शैक्षिक मंचों को विनियमित करेगा।

14. लेकिन जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, विचार के लिए प्रश्न व्यापक स्पेक्ट्रम में 'कोई भी' विश्वविद्यालय शब्द है

अधिनियम 1988 की धारा 2 (सी) (xi) के तहत निर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और विधायिका ने अपने विवेक में "कोई भी विश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख किया है जो स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय को यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत निर्दिष्ट अपने वैधानिक तंत्र द्वारा संदर्भित और नियंत्रित और यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माना जाता है। 15. मेरी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार कानूनी रूप से अस्थिर है और गुण-दोष पर उठाए गए सभी प्रश्नों को प्रतिवादी के लिए मुकदमे के दौरान आग्रह करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। द.

तदनुसार अपील की अनुमति है। 2 फरवरी 2018 के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।